न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः **12/2022** दायर दिनॉंक **13.01.2022**

प्रार्थीगण

1. भंवरी देवी पत्नि मदनलाल उम्र 50 वर्ष
2. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल उम्र 30 वर्ष
3. मनोज पुत्र मदनलाल उम्र 25 वर्ष
4. पूजा पुत्री मदनलाल उम्र 15 वर्ष (नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भंवरी देवी)
5. श्यामाराम पुत्र छोगाराम उम्र 36 वर्ष
6. मुकेश पुत्र छोगाराम उम्र 30 वर्ष
7. रजिन्द्र पुत्र छोगाराम उम्र 24 वर्ष
8. संतोष पत्नि छोगाराम उम्र 55 वर्ष
9. लीला पुत्री छोगाराम उम्र 26 वर्ष
10. रामूराम पुत्र भूराराम उम्र 60 वर्ष
11. हनुमान पुत्र भूराराम उम्र 45 वर्ष
12. कैलाश पुत्र भूराराम उम्र 42 वर्ष समस्त जाति माली निवासीगण खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थी

1. तहसीलदार डीडवाना।

पुनर्विलोकन याचिका
अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.
सहपठित आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी

उपस्थितः–

1. राजेन्द्र कुमार माथूर वकील प्रार्थीगण।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनॉंक **22.04.2022**

यह है कि प्रार्थीगण की राजस्व भूमि खसरा सं0 514/222 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा ग्राम खरेश पटवार क्षेत्र खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण कि उपरोक्त खसरा सं0 514/222 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्रार्थीगण का है। सम्बन्धित खतौनी तथा राजस्व ट्रेस नक्शा की नकल पेश है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चिपते ही पूर्व दिशा में कटाणी रास्ता डामर की सड़क अवस्थित है।

यह है कि अप्रार्थी पक्ष के तहसीलदार महोदय, डीडवाना ने दिनांक 13.04.2017 को धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 10.08.2016 के किसी परिपत्र के अन्तर्गत कथित रास्ता बाबत अंकन करने का निवेदन किया और न्यायालय श्रीमान द्वारा दुसरे ही दिन इस आवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त दिनांक 10.08.2016 के बताये गये परिपत्र के अनुसार दिनांक 18.04.2017 को सम्पूर्ण प[illegible] स्वीकार कर पत्रावली को फेसल सुमार कर दाखिल दफ्तर कर [illegible] रहे कि अप्रार्थी के आवेदन में अनेको खसरा नम्बर[illegible] जिला मौका रिपोर्ट में क्रमांक 2 पर प्रार्थीगण की खसरा सं0 [illegible]/222 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा अवस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

यह है कि न्यायालय श्रीमान के उक्त निर्णय दिनांक 18.04.2017 पर पुनः अवलोकन कर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त करने का निवेदन करते हुए यह पुनर्विलोकन याचिका पेश है। जिस याचिका के प्रमुख आधार इस प्रकार है –

1. यह है कि प्रार्थीगण के उक्त खसरा सं0 514/222 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा ग्राम खरेश के किसी भी भाग में न तो पहले कभी रास्ता था और आज है। इस बारे में कोई रिपोर्ट न तो कभी बनाई गई, न कभी मौका देखा गया। ऐसी किसी कथित रिपोर्ट को तैयार करने से पहले प्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गई। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी पक्ष की उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत नही है।
2. यह है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त याचिका दिनांक 13.04.2017 को पेश होते ही दर्ज कर ली गई। इसके पश्चात अप्रार्थीगण को उक्त याचिका को निर्णय करने से पूर्व किसी प्रकार के नोटिस तक जारी नही किये गये, न अप्रार्थी को तलब किया, न अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया और दुसरे ही दिन उक्त याचिका को मात्र अप्रार्थी के निवेदन पर स्वीकार कर लिया गया। जिससे प्रार्थी पक्ष को भारी हानि हुई है, वे अपने विधिक अधिकारों से वंचित रहे है। उन्हे अपने सम्पति व अधिकारों की रक्षा करने तथा बचाव करने का लेशमात्र भी प्रार्थीगण का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 18.04.2017 को अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि अप्रार्थी मूल याचि तहसीलदार डीडवाना द्वारा जिस प्रावधान धारा 131 व 132 एल.आर. एक्ट में आवेदन पेश किया है। उन धाराओं के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागु ही नही होते। धारा 131 व 132 लैण्ड रेवेन्यु एक्त के प्रावधान एकेडमीकल प्रावधान है और यह प्रोसिजरल प्रावधान नही है। फिर भी अप्रार्थी ने गलत विधि का सहारा लेकर दिनांक 18.04.2017 को जो आदेश प्राप्त किया है। वह विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि अप्रार्थी पक्ष ने जिस परिपत्र क्रमांक प0 3(02) राज. 6/2003 का सन्दर्भ दिया है। उक्त परिपत्र के प्रावधान भी उक्त प्रकरण में लागू नही होते। यह भी विदित रहे कि उक्त परिपत्र में जो निर्देश जारी किये है। उसकी कार्यवाही अधिकतम माह अक्टुम्बर 2016 तक ही पूर्ण की जानी थी। फिर इस परिपत्र का पार्ट–4 तो इस हस्तगत प्रकरण में न तो लागू होता है और न ही ऐसा किसी बताये गये काश्तकार ने सम्बन्धित अधिकारी अथवा न्यायालय को निवेदन किया। इस सब स्थितियों के कारण उक्त बताया गया परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधान अप्रार्थी ने गलत रूप से बताकर उक्त दिनांक 18.04.2017 का निर्णय व आदेश प्राप्त किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः पुनर्विलोकन याचिका पेश कर निवेदन है कि उक्त याचिका में बताये गये आधारो तथा विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण कि उक्त याचिका स्वीकार करने तथा उपराक्त बताये गये आदेश प्रकारण सं0 100/2017 तहसीलदार डीडवाना बनाम मोतीराम व अन्य अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट आदेश दिनांक 18.04.2017 को पूर्णतः अपास्त करने की कृपा करावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा सं0 की वर्तमान खातेदारी प्रार्थीगण 1 ता 12 की दर्ज है खसरा सं0 1104/402 की किस्म निजी खातेदारी में किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। लेकिन मौके पर किसी प्रकार का रास्ता का आलामात मौजूद नही है।

तहसीलदार डीडवाना में संलग्न नज[illegible]नुसार बिन्दू ए. बी. सी. डी. के मध्य रास्ते का खसरा सं0 1104/402 [illegible] आलामात नही है। बिन्दू ए.बी. एवं ई. एफ. के मध्य खसरा [illegible] रकबा 0.17 हेक्टे0 पर वर्तमान में रास्ता चल रहा है जो [illegible] खातेदारी में दर्ज है। मौके पर रास्ता के काम आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

अतः प्रकरण सं0 100/2017 तहसीलदार डीडवाना बनाम मोतीराम व अन्य अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट आदेश दिनांक 18.04.2017 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण सं0 100/2017 तहसीलदार डीडवाना बनाम मोतीराम व अन्य आदेश दिनांक 18.04.2017, सरहद खरेश के पुराने खसरा सं0 514/222 व नये खसरा सं0 401, 402, 1104/402 में से खसरा सं0 1104/402 किस्म गैर मुमकिन रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट के तहत घोषित किया गया था जिसको अपास्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **22.04.2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 12/2022 दायर दिनाँक 13.01.2022

वादी

1. भंवरी देवी पत्नि मदनलाल उम्र 50 वर्ष
2. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल उम्र 30 वर्ष
3. मनोज पुत्र मदनलाल उम्र 25 वर्ष
4. पूजा पुत्री मदनलाल उम्र 15 वर्ष (नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भंवरी देवी)
5. श्यामाराम पुत्र छोगाराम उम्र 36 वर्ष
6. मुकेश पुत्र छोगाराम उम्र 30 वर्ष
7. रजिन्द्र पुत्र छोगाराम उम्र 24 वर्ष
8. संतोष पत्नि छोगाराम उम्र 55 वर्ष
9. लीला पुत्री छोगाराम उम्र 26 वर्ष
10. रामूराम पुत्र भूराराम उम्र 60 वर्ष
11. हनुमान पुत्र भूराराम उम्र 45 वर्ष
12. कैलाश पुत्र भूराराम उम्र 42 वर्ष समस्त जाति माली निवासीगण खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

पुनर्विलोकन याचिका
अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.
सहपठित आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी

दिनाँक 22.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई राजेन्द्र कुमार माथूर वकील प्रार्थीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण सं0 100/2017 तहसीलदार डीडवाना बनाम मोतीराम व अन्य आदेश दिनांक 18.04.2017, सरहद खरेश के पुराने खसरा सं0 514/222 व नये खसरा सं0 401, 402, 1104/402 में से खसरा सं0 1104/402 किस्म गैर मुमकिन रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट के तहत घोषित किया गया था जिसको अपास्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–.....

बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमि बाबत इ हुक्मना मुतफर्रि		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:27 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner